

आशासक

उपखण्ड
दुरलाय

अधिकारी

बनाम

सीकर
भीमसिंह

12/6/24

105/2024 पत्रा. प. 27 / अधि. प्र. 11 / हाजिर / अधि. 11
 प्राची के पूरे पेशी पर दियार की गई थी कि
 अपाधिकारों की गारंटी जरूरी बजिस्ट्री
 नोटिस पेश की अन्यथा प्रार्थना-पत्र
 खारिज कर दिया जायेगा। आज दिनांक तक
 अधि. प्राची ने अपाधिकारों के रजि. नोटिस
 पेश नहीं। किये हैं इतल स्पष्ट है कि प्राची
 अपने प्रार्थना-पत्र के परि गंभीर नहीं है।
 फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र प्राची के आदेश
 9 नियम 5 पर के तहत खारिज किया जा रहा है।
 पत्रावली फौजल शुमा (होम नम्बर 1) म
 है। दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज के
 दस्तावेज से (कुनाया गय)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर